राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5935/2022

चेतराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र बटालियन, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, नेहरू पैलेस, लाल कोठी, जयपुर।
2. प्लाटून कामंडेंट(एम.टी) vi बटालियन, आर.ए.सी. धौलपुर, जिला धौलपुर।
3. श्री प्रभुराम जाट हेण्डकॉस्टेबल नंबर 124 iii बटालियन आर.ए.सी. बीकानेर।
4. गृह सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.11.2022
आदेश की दिनांक : 07.06.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपील में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्लाटून कमाण्डर (एम.टी)/आरमोरर/बैण्ड के पद पर वर्ष 2020–21 को पदोन्नति हेतु विज्ञापन जारी किया गया, उक्त विज्ञापन के अनुसार प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के लिए केवल दो पद थे, दोनों पद सामान्य श्रेणी के थे।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विज्ञापन दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–1) के अनुसरण में अपीलार्थी ने भी आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उन उम्मीदवारों का चयन किया जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं। जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद हेड कांस्टेबल (एम.टी.) 149, 13 वीं बटालियन, आरएसी, चैनपुरा जिला जयपुर और श्री प्रभु राम जाट हेड कांस्टेबल 124–iii बटालियन, आरएसी जिला बीकानेर अपीलार्थी से कनिष्ठ है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हेड कांस्टेबल (एम.टी.) की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2021 (अनुलग्नक–2) में ऐसा ही था। उनका तर्क है कि दिनांक 20.05.2022 (अनुलग्नक–3) को रोल नंबर आवंटित किए गए थे। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 26.05.2022 को तथा दिनांक 27.05.2022

को प्रैक्टिकल आउटडोर एवं साक्षात्कार आयोजित किया गया। इस सूची में भी अपीलार्थी को रोल नंबर 1 आवंटित किया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राजेन्द्र प्रसाद और प्रभु राम जाट को क्रमशः 3 व 4 रोल नंबर आवंटित किए गए। अपीलार्थी ने उक्त प्रक्रिया में भाग लिया और उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे आउटडोर और साक्षात्कार के लिए भी बुलाया गया।

6. उनका तर्क है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार परीक्षा केवल अर्हत परीक्षा है और उसके बाद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी होती है। अपीलार्थी इस प्रक्रिया के सभी चरणों को पहले ही उत्तीर्ण कर चुका है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ उम्मीदवार को प्लाटून कमाण्डर (एम.टी) के रूप में पदोन्नत किया गया है और अपीलार्थी को उसके अधिकार से वंचित किया गया है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है और ये पद सामान्य श्रेणी के लिए थे और प्रत्यर्थी विभाग सामान्य श्रेणी के पद पर केवल उन कार्मिकों के लिए विचार कर रहा हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों के अलावा है, हांलाकि सामान्य श्रेणी के पद सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध हैं उनकी श्रेणी के बावजूद आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध है, सामान्य वर्ग के लिए नहीं। इस प्रकार उन कार्मिकों को बढ़ावा देना जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है और अपीलार्थी को वंचित करना प्रत्यर्थी विभाग की ओर से मनमान और अनुचित है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक इन दोनों कार्मिकों की पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया है परन्तु शीघ्र ही इन्हें प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के पद पर प्रत्यर्थी विभाग पदोन्नत करने जा रहा है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 29.05.1986 को नियुक्त हुआ और उसे वर्ष 2010–11 में हैड कास्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। जबकि राजेन्द्र प्रसाद और प्रभु राम जाट को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को वरिष्ठता के बावजूद प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के पद पर पदोन्नति के अपने अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी हैड कांस्टेबल की सूची में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी है, इसलिए वह पदोन्नति का हकदार है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं कर रहा है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामान्य श्रेणी के पद के विरूद्ध प्रत्यके अभ्यर्थी चाहे उसकी कोई भी श्रेणी चाहे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पर विचार किया जा सकता है और इसलिए अपीलार्थी को वंचित करना मनमाना और अनुचित हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2325/2013 सोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान करने पर वरिष्ठ कार्मिकों की भी तदानुसार पदोन्नति की गई है।

12. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को आरएसी में प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के पद पर पदोन्नत किया जावें और अपीलार्थी की उम्मीदवारी प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) द्वारा अनारक्षित श्रेणी के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार पर विचार न करने को मनमाना और अवैध ठहराया जावें। प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देकर इसे ठीक करने का आदेश दिया जावें।

13. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्रांक 845 दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–1) के तहत आरएसी रेंज में वर्ष 2020–21 के प्लाटून कमाण्डर (एम.टी./आरमोर्र/बैण्ड) के रिक्त पदों की पदोन्नति प्रक्रिया द्वारा पूर्ति किये जाने के प्रयोजनार्थ चयन मण्डल का गठन किया गया, जिसके क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3)(सी) के अन्तर्गत वर्ष 2022–21 में अवधारित रिक्तियों के निर्धारण उपरान्त योग्यात्मक परीक्षा हेतु प्रस्तावित रिक्तियों का वर्गवार विवरण जारी किया गया। आरएसी रेन्ज में वर्ष 2020–21 के लिए प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के 02 (सामान्य) रिक्त पदों की पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्ति किये जाने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 एवं श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 10/91 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2020 के आधार पर निर्धारित अर्हता रखने वाले मुख्य आरक्षी (एम.टी.) से प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के 02 रिक्त पदों (सामान्य वर्ग) की पूर्ति हेतु दिनांक 20.04.2020 को आवेदन पत्र

आमन्त्रित किये गये। दिनांक 20.04.2020 तक रिक्तियों के 10 गुणा अर्थात 20 के विरूद्ध मात्र 18 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनकका नियमानुसार परीक्षण किये जाने पर सभी 18 मुख्य आरक्षी (एम.टी.) उक्त पदोन्नति परीक्षा के प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) हेतु पात्र पाये गये। अपील के तथ्यों के संबंध में सदस्य सचिव, चयन मण्डल के कार्यालय पत्रांक 1019 दिनांक 20.05.2022 के तहत मुख्य आरक्षी (तकनीकि) से प्लाटून कमाण्डर आरएसी (तकनीकि) वर्ष 2020–21 के एम.टी. –02 एवं बैण्ड–01 (सामान्य वर्ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योगात्मक परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार मुख्यालय 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर पर लिखित परीक्षा दिनांक 26.05.2022 समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं प्रायोगिक, आउटडोर एवं साक्षात्कार दिनांक 27.05.2022 को समय प्रातः 06:00 बजे से उक्त पदोन्नति परीक्षा हेतु आयोजित की जाने वाली योग्यात्मक परीक्षा के लिये पात्र पाये गये (एम.टी.) के 18 अभ्यार्थियों को इनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार वरिष्ठता क्रम में रोल नम्बर आवंटित किये गये। दिनांक 26.05.2022 को अध्यक्ष चयन मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम जिसमें सभी 18 अभ्यार्थियों को प्रायोगिक आउटडोर परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया। दिनांक 27.05.2022 को प्रायोगिक आउटडोर परीक्षा मुख्यालय 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर द्वारा आयोजित की गई। जिसमें 18 अभ्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा में नियमानुसार 40 प्रतिशत एवं अधिक अंक अर्जित करने के फलस्वरूप सभी 18 अभ्यार्थी सफल घोषित किये गये। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 416 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग के राजसेवक की पदोन्नति होती है, तो उसे आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अभ्यांश क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत पूर्ण होने अथवा संबंधित रोस्टर बिन्दू से पद भरा होने पर भी अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के वरिष्ठतम अभ्यार्थी का चयन किये जाने के निर्देशानुसार वर्ष 2020–21 में प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के 02 रिक्त (सामान्य वर्ग) पदों की पूर्ति हेतु लिखित प्रायोगिक आउटडोर तथा साक्षात्कार परीक्षा समग्र रूप से 50 प्रतिशत एवं अधिक अंक अर्जित किये जाने पर पात्रता सूची में क्रम संख्या 01 पर अंकित अपीलार्थी एवं क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री बाबू लाल हैड कांस्टेबल 112 तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी सेवा में प्रवेश (सीधी भर्ती) के समय की वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ होने के कारण अनारक्षित वर्ग के निम्नलिखित अभ्यार्थियों को सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर (01) श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कांस्टेबल 149, 13वीं बटालियन आरएसी, जयपुर। (02) श्री प्रभु राम जाट हैड

कांस्टेबल 124, तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर को सामान्य वर्ग से चयन सूची पर लिया जाकर प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) पद के सम्बर्ग पाठयक्रम के लिए चयन मण्डल द्वारा पदोन्नत दी गई।

14. अपीलार्थी की अभ्यार्थी सेवा में प्रवेश की वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ होने के कारण हैड कांस्टेबल (एम.टी.) से प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। अतः अपीलार्थी जिस प्रकार का लाभ चाहता है वह नियमानुसार नहीं है। अतः उक्त अपील खारिज योग्य है।

15. हमने अपीलार्थी की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

16. हमारे विनम्र मत में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्लाटून कमाण्डर (एम.टी)/आरमोरर/बैण्ड के पद पर वर्ष 2020–21 को पदोन्नति हेतु विज्ञापन जारी किया गया, उक्त विज्ञापन के अनुसार प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) के लिए केवल दो पद थे, दोनों पद सामान्य श्रेणी के थे। विज्ञापन दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–1) के अनुसरण में अपीलार्थी ने भी आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। अपीलार्थी लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। प्रत्यर्थी विभाग ने श्री प्रभु राम जाट हैड कांस्टेबल 124–III बटालियन, आरएसी जिला बीकानेर अपीलार्थी से कनिष्ठ है, जिनकों पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद सामान्य श्रेणी का होने के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी विभागीय वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 से वरिष्ठ है। पत्रावली पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची के आधार पर सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता में भी अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की तुलना में वरिष्ठ है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2020 को आरएसी हैड कांस्टेबल तकनीकि जारी वरिष्ठता सूची एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 01.04.2021 को आरएसी में पदस्थापित हैड कांस्टेबल (एम.टी.) स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2021 से पूर्णतया स्पष्ट है। यह सुस्थापित विधि है कि यदि पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों में कोई भी पद आरक्षित वर्ग हेतु उपलब्ध नहीं है एवं आरक्षित वर्ग का कार्मिक सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु आयोजित पदोन्नति प्रक्रिया में सफल होता है एवं वह सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से वरिष्ठ है तो उसे सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा और सामान्य पद के विरूद्ध की गई पदोन्नति को आगामी वर्षों की आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में समायोजित किया जायेगा। विभागीय वरिष्ठता सूची के

अनुसार अपीलार्थी का सेवा में प्रथम वर्ष/नियुक्ति तिथि 29.05.1986 है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की सेवा में प्रथम वर्ष/नियुक्ति तिथि सितम्बर 1989 है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी सेवा प्रवेश के समय निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को प्लाटून कमाण्डर (एम.टी) की वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की जावे और इसका निर्णय कर अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे। आदेश की पालना 3 माह में की जावें।

17. आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य